

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-03/2026 श्र0सं0- 3743

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

मनीष कुमार,
उप श्रमायुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, अरवल/मधुबनी/सहरसा/पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/जमुई/
मुजफ्फरपुर/सीतामढ़ी/मुंगेर एवं रोहतास।

पटना, दिनांक- 11/7/26

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुनर्वापसी पर व्यय के अंतर्गत सामान्य एवं अनुसूचित जाति के लिए विपत्र कोड-26-2230011140102 (सामान्य श्रेणी) के अन्तर्गत CFMS 2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, 2008 के अन्तर्गत, प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध CFMS2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन का विवरण निम्नवत है:-

2. सामान्य कोटि (विपत्र कोड-26-2230011140102) के मृत प्रवासी श्रमिकों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष-31.06 सहायक अनुदान गैर-वेतन मद में भुगतान के लिए रुपये रु० 2,00,000/- (दो लाख) मात्र एवं रु० 1,00,000/- (एक लाख) मात्र प्रति मृत प्रवासी श्रमिक की दर से आवंटित अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	अरवल	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, अरवल के ज्ञापांक-370, दिनांक-02.06.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० अनूप कुमार, पिता-बिगन यादव, आश्रित-किलन्ती कुमारी (पत्नी), ग्राम-मुंनगंज, पोस्ट-खटांगी, पंचायत-बलौरा, थाना-वंशी, जिला -अरवल।
2	मधुबनी	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, मधुबनी के ज्ञापांक-956, दिनांक-31.05.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० मुन्ना, आश्रित-मुसीरथ (पत्नी), ग्राम-भेलवा टोल, वार्ड-11, पो०+था०+ग्रं०- जयनगर, जिला-मधुबनी।
		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, मधुबनी के ज्ञापांक-955, दिनांक-31.05.2026 के आलोक में। (2) मृतक-स्व० मुकेश कुमार ठाकुर, आश्रित-रंजित ठाकुर (पिता), ग्राम+पोस्ट-गन्धवारि, पंचायत -सनौर, वार्ड-16, प्रखंड-रहिका, थाना-सकरी, जिला-मधुबनी।

(३०)

3	सहरसा	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक-774, दिनांक-06.06.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० बसंत कुमार, पिता-श्री पुलकित यादव, आश्रित-खुशबु कुमारी (पत्नी), ग्रा०+पं०+ पो०-उटेशरा, थाना-सलखुआ, जिला-सहरसा।
4	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के पत्रांक-828, दिनांक-21.05.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० अजीमुद्दीन अंसारी, आश्रित-नसीमा खातून (पत्नी), ग्राम-हसनपुर, पोस्ट-परसौनी किशुन, थाना-पिपरा, प्रखंड-चकिया, जिला-पूर्वी चम्पारण।
5	जमुई	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक-417, दिनांक-01.06.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० श्याम रावत, आश्रित-रिंकी देवी (पत्नी), ग्राम-चारण, थाना+प्रखंड-सिकन्दरा, जिला -जमुई।
6	मुजफ्फरपुर	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक-1447, दिनांक-06.06.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० मो० रिजवान अंसारी, आश्रित- मुस्कान खातून (पत्नी), ग्राम-बड़ाजगन्नाथ, पोस्ट-भीखनपुर, थाना-अहियापुर, प्रखंड-मुशहरी, जिला-मुजफ्फरपुर।
		01	1,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक-1313, दिनांक-25.05.2026 के आलोक में। (2) मृतक-स्व० दीपक कुमार, आश्रित-रामसिकिल देवी (माता), ग्राम-कथौलिया, पोस्ट-बिरहिमा बाजार, थाना-बरुराज, प्रखंड-मोतीपुर, जिला- मुजफ्फरपुर।
7	सीतामढ़ी	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के ज्ञापांक-715, दिनांक-01.06.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० शत्रुघ्न ठाकुर, पिता-रूप लाल ठाकुर, आश्रित-नगीना उर्फ नगीना देवी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट-कठौर, थाना+प्रखंड-परसौनी, जिला- सीतामढ़ी।
8	रोहतास	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, रोहतास के ज्ञापांक-859, दिनांक-03.06.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० रमेश शर्मा उर्फ रमेश कुमार, पिता-राजदेव शर्मा, आश्रित-सरिता देवी (पत्नी), ग्राम-तैदुनी, पोस्ट-बड़हरी, थाना-करगहर, जिला- रोहतास।

3. अनुसूचित जाति के मृत प्रवासी श्रमिकों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष 31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान के लिए, सामान्य कोटि के विपत्र कोड-26-2230011140102 में, रु० 2,00,000/-मात्र प्रति मृत प्रवासी श्रमिक की दर से, आवंटित अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	मुजफ्फरपुर	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक-1446, दिनांक-06.06.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० दिलीप कुमार, आश्रित-संजय राम (पिता), ग्राम+पोस्ट-संधोपट्टी, थाना-बरियारपुर ओ० पी०, प्रखंड-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर।

(m)

2	मुंगेर	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, मुंगेर के ज्ञापांक-1114, दिनांक-11.06.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० बेचन मांझी, पिता-योगेन्द्र मांझी, आश्रित-सजनी देवी (पत्नी), ग्राम-गालिमपुर, पोस्ट-लोहची, थाना-प्रखंड-ह० खड़गपुर, जिला- मुंगेर।
3	रोहतास	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, रोहतास के ज्ञापांक-831, दिनांक-26.05.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० श्री निवास राम उर्फ निवास राम, पिता-सोहाग राम, आश्रित-रम्भा देवी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट-मेयारी बाजार, थाना-नोखा, जिला-रोहतास।

- यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2299, दिनांक-22.04.2026 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2026-27 में "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रु० 4,00,000 / - (चार लाख) मात्र, रु० 2,00,000 / - (दो लाख) मात्र एवं रु० 1,00,000 / - (एक लाख) मात्र प्रति मृतक प्रवासी श्रमिक की दर से उनके वैध आश्रित के भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।
- अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग कोई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि० दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि० दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
- अनुरोध है कि इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है, तो अनियमित होगा।
- अनुरोध है कि आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में, आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ, निकासी के उपरांत, अविलम्ब सक्षम प्राधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
- विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.07.16 के आलोक में लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान **RTGS (Real Time Gross Settlement)** पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
- अनुरोध है कि आवंटित राशि को, नियमानुसार जाँच कर, उन्हीं मृतक के आश्रित/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभान्वित नहीं किया गया हो।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।
- श्रमायुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वनाथ झा
01/07/26
(मनीष कुमार)
उप श्रमायुक्त।

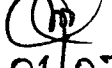
ज्ञापांक: 6/एफ1-03/2026 श्र०सं०- 3743

पटना, दिनांक- 11/7/26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/ संबंधित श्रम अधीक्षक/संयुक्त श्रमायुक्त-सह-वरीय प्रभारी प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा । सभी संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक से अनुरोध है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरुद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे ।

विश्वासभाजन


01/07/26
(मनीष कुमार)

उप श्रमायुक्त ।